पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: **3744** /अका./का.प./**2015** रायपुर, दिनांक : **03/06/2015**

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बारहवीं* बैठक बुधवार, दिनांक 10 जून, 2015 को अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं आपात बैठक 29.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।** (पृ.क्र. 01 से 11 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं 29.05.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।**

03. **साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज लैब के लिए DGS&D दर पर 20 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 12 से -- तक)

04. **श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 13 से -- तक)

05. **छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जैविकी की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन आदेश क्र. 2203/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 30.05.2014 के द्वारा डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर संविदा आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये नियुक्ति की गई थी।

उपरोक्त आदेशानुसार डॉ. राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने दिनांक 06.06.2014 को संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर पदभार ग्रहण किये हैं। तद्नुसार इनकी एक वर्ष की अवधि दिनांक 05.06.2015 को पूर्ण हो रही है।

ज्ञात हो कि संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् का पद दिनांक 06.06.2015 से आगामी एक वर्ष के लिये संविदा से भरा जाना नितांत आवश्यक है, ताकि विश्वविद्यालय के इस विभाग का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।

डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को दिनांक 06.06.2015 से आगामी एक वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

06. **विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।**

टीप : विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त है :–

विभागाध्यक्ष शिक्षा –

1. के.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, भिलाई
2. शैल देवी महाविद्यालय, ग्राम–अण्डा, जिला–दुर्ग

विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

07. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पृ. क्रमांकः **3745** /अका./का.प./**2015** रायपुर, दिनांक : **03/06/2015**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः 3600 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक : 23/05/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की दसवीं* बैठक सोमवार, दिनांक 11.05.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ.. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
3. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
4. डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य
5. डॉ. एस.सी. नैथानी	–	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	–	सदस्य
7. श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
8. प्रोफेसर दिनेश मरोठिया	–	सदस्य
9. श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
10. श्री शिवरतन शर्मा	–	सदस्य
11. श्री श्रीचंद सुंदरानी	–	सदस्य
12. श्री नवीन मार्कण्डेय	–	सदस्य
13. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

01. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 22.03.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।**

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.3.2015 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान की गई।**

02. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 22.03.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।**

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.3.2015 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**

03. **निःशक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता में वृद्धि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 1–28/2014/सक/26 नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2015 को अंगीकृत करना।**

निर्णय : निशक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता में वृद्धि करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–28/2014/सक/26 नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2015 को अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

04. अनुग्रह राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 72/एल 2014–71–00331/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 24 मार्च 2015 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुग्रह राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वित एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 72/एल 2014–71–00331/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च, 2015 को अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

05. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.3.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

06. मूल विज्ञान केन्द्र के लिए DGS&D दर पर 40 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : मूल विज्ञान केन्द्र के लिए DGS & D दर पर 40 नग कम्प्यूटर कुल लागत रु. 19,22,172/– (उन्नीस लाख बाइस हजार एक सौ बहत्तर रुपए) क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

07. विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए चयनित प्रतिभागियों की परीक्षा पुनः आयोजित किये जाने के संबधं में विचार करना।

निर्णय : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित प्रतिभागियों की परीक्षा पुनः आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

08. श्री नंद कुमार चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : श्री नंद कुमार चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के प्रावधानानुसार दिनांक 16.06.2015 से 15.01.2016 तक 07 माह, अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।

09. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

10. वर्ष 2013 में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निम्नानुसार शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पदों पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद स्थायीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई :

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	डॉ. श्रीमती कविता ठाकुर, प्रोफेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स	04.03.2013	04.03.2015
2	श्री लब्य प्रभास, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैविकी	04.03.2013	04.03.2015

11. अकादमिक स्टाफ कालेज की एडवाइज़री कमेटी की बैठक दिनांक 04.04.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अकादमिक स्टॉफ कॉलेज की एडवाइजरी कमेरी की बैठक दिनांक 04.04.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

12. प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्राचार्य/विभागाध्यक्ष पद पर चयन समिति की अनुशंसानुसार महाविद्यालय के नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन किया गया:

क्र.	महाविद्यालय का नाम	प्राचार्य
1	कोलंबिया कालेज प्लाट नं. 97, ग्राम–टेकारी, पो.आ. मांढर, जिला–रायपुर	डॉ. लुभावनी त्रिपाठी
2	बी.एम. कालेज, कोलिहापुरी, दुर्ग, जिला–दुर्ग	डॉ. (श्रीमती) संतोष अग्रवाल
3	जी.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका–कुरूद रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग	डॉ. सुभाष चंद्र श्रीवास्तव
4	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी, जिला–दुर्ग	डॉ. अब्दुल सत्तार
5	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं. –129, ग्राम–धनेली, पो.–माना कैम्प, रायपुर	डॉ. संजीत कुमार साहू
6	कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ग्राम+पोस्ट–नरदहा, रायपुर	डॉ. निधि शुक्ला
7	कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लाट नं.–2661/24, देवरी, भाटापारा	डॉ. वंदना चौहान
8	आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.–483/1, पं.र.शु.विश्वविद्यालय जिम्नेशियम के सामने, डुमर तालाब, कांगेर वैली एकेडेमी, रायपुर	डॉ. सौम्या तिवारी
9	सांदिपनी एकेडमी, अछोटी, प्लाट नं. –44, तह.–धमधा, मुरमुंदा, जिला–दुर्ग	डॉ. (श्रीमती) सुजाता अतुल शर्मा
10	शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मांढर, जिला–रायपुर	डॉ. जयप्रकाश धीवर
11	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधन शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम–फरी, पो.–बीजभाटा, जिला–बेमेतरा	डॉ. जुबराज खमारी (बायोडाटा प्राप्त होना शेष है।)
12	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, देवभोग रोड, गरियाबंद	डॉ. सत्येन्द्र तिवारी (बायोडाटा प्राप्त होना शेष है।)
		विभागाध्यक्ष
13	दिशा कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सत्यविहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार मार्ग, रायपुर	डॉ. विजय प्रकाश शर्मा (बायोडाटा प्राप्त होना शेष है।)

(i) उपरोक्तानुसार अनुमोदन के फलस्वरूप संबंधित महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के पद के लिए अनुशंसित व्यक्तियों के बायोडाटा निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरा करने के संदर्भ में पुनः परीक्षण करने के पश्चात् पत्र जारी किया जावे।

(ii) क्रम संख्या 11, 12 एवं 13 के लिए चयनित अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के संबंध में बायोडाटा मंगाकर न्यूनतम योग्यता पूरा करने के संदर्भ में परीक्षण कर पत्र जारी किया जावे।

पूरक विषयसूची

01. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

02. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (**AICTE, New Delhi**) द्वारा रिसर्च प्रमोशन स्कीम (**RPS**) के तहत **Flash Purification system** क्रय के संबंध में रु. 12,03,600/– (रु. बारह लाख तीन हजार छः सौ मात्र) विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई–दिल्ली (**AICTE, New Delhi**) द्वारा रिसर्च प्रमोशन स्कीम (**RPS**) के तहत प्राप्त अनुदान से **Flash Purification system** अनुमानित लागत रु. 12,03,600/– (रु. बारह लाख तीन हजार छः सौ) विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

03. सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014–15 हेतु कुल 41 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रु. 11,20,000/– (रुपए ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014–15 हेतु कुल 41 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रुपए 11,20,000/– (रुपए ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

04. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह एवं सामुदायिक भवन के आबंटन एवं किराया निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय सामुदायिक भवन के आबंटन एवं किराया निम्नानुसार निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई :

1. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सामुदायिक भवन का आवंटन विश्वविद्यालय कर्मचारी/अधिकारियों के ब्लड रिलेशन से संबंधित (पिता/माता, पुत्र/पुत्री) कार्यक्रम के लिये आवंटन हेतु किराया एवं अन्य राशि निम्नानुसार निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

किराया प्रति दिवस	अमानत राशि रूपए	बिजली, पानी, साफ–सफाई शुल्क
12000/–	2000/–	2000/–

2. कुलपति के सक्षम अनुमति से विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से निर्धारित दर पर किराया राशि की आधी दर से अर्थात् 6000/– रुपए प्रति दिवस की दर से आवंटन किया जावेगा। अमानत राशि एवं बिजली, पानी, साफ–सफाई शुल्क सभी के लिए एक ही समान दर से निर्धारित किया जावे।
3. प्रेक्षागृह के संबंध में प्रकरण बाद में प्रस्तुत किया जावे।

05. पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, पुनः पुनर्मूल्यांकन एवं लिखित उत्तर पुस्तिका के निर्धारित शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, पुनःपुनर्मूल्यांकन एवं लिखित उत्तरपुस्तिका के शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार करने की स्वीकृति प्रदान की गई :

1. पुनर्गणना– प्रति उत्तरपुस्तिका रूपये 50/–
2. पुनर्मूल्यांकन – प्रति उत्तरपुस्तिका रूपये 250/– (पुनर्मूल्यांकन अधिकतम 02 उत्तरपुस्तिका)
3. लिखित उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदान करने के लिए प्रति उत्तरपुस्तिका रूपये 400/–
4. पुनःपुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति उत्तरपुस्तिका रूपये 500/–(यथावत)

06. वर्ष 2016 की परीक्षा के आवेदन आनलाइन से प्राप्त करने एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य के लिए प्राप्त निविदा पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : वर्ष 2016 की परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन से प्राप्त करने एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य के लिए प्राप्त निविदा पर विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार मेसर्स, लर्निंग स्पाइरल प्रा.लि. 3–ए आकलैंड प्लेस 5th **Floor Suite-5B** कोलकाता को उनके द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित न्यूनतम दर पर रिजल्ट प्रोसेसिंग एवं ऑनलाइन कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

A-1

Particulars	
Online submission of Enrolment Form for Regular student/Exam Form/Supplementary Form/Revaluation Form etc. All payments through online generated Bank Reconciliation, Fee calculation etc. (with photographs)	**Rs. 02.40**

A-2

Particulars				
Pre-Examination Work including all reports, internet display, web space hiring charges etc.	Post-Examination Work including all reports, internet display, web space hiring charges etc.	Revaluation Work including all reports, internet display, web space hiring charges etc.	Supplementary Examination including all reports, internet display, web space hiring charges etc.	Total Amount
Rs. 05.95	**Rs. 06.25**	**Rs. 06.10**	**Rs. 06.25**	**24.55**

D:\back\shital\MEETINGS\karya-prishad\MINUTS\3 E.C. minutes 11-05-2015.rtf

07. फर्नीचर क्रय करने हेतु **MOU/Rate Contract** करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि एक बार पुनः परीक्षण करा लिया जावे।

08. वर्ष 2006–2009 की मुद्रित उपाधियों में कुलपति के मूल हस्ताक्षर की स्केन कापी अथवा मूल हस्ताक्षर की रबर स्टेम्प लगाकर उपाधि जारी करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वर्ष 2006–2009 की मुद्रित उपाधियों में कुलपति के मूल हस्ताक्षर की स्केन कापी अथवा मूल हस्ताक्षर की रबर स्टेम्प लगाकर उपाधि जारी करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

09. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

10. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 77,22,000/– (रुपए सतहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने के उपरांत प्रस्तुत देयक रुपये 77,22,000/– (रुपये सतहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) का 10 प्रतिशत रोककर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

11. वार्षिक परीक्षा 2015 के ऑनलाइन परीक्षा फार्म भराने के कार्य का देयक राशि रु. 08,53,331=50 (रु. आठ लाख तिरपन हजार तीन सौ इकत्तीस मात्र) में. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2015 के ऑनलाइन परीक्षा फार्म भराने के कार्य के फलस्वरूप मेसर्स, ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर से प्राप्त देयक राशि रुपए 08,53,331=50 (रु. आठ लाख तिरपन हजार तीन सौ इकत्तीस मात्र) में 20 प्रतिशत रोककर, भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

12. वार्षिक परीक्षा 2015 के परीक्षा पूर्व किये गये डाटा प्रोसेसिंग कार्य का देयक राशि रु. 17,99,206=64 (रुपए सत्रह लाख निन्यानबे हजार दो सौ सात मात्र) में. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2015 के परीक्षा पूर्व किये गये डाटा प्रोसेसिंग कार्य के लिए मेसर्स, ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रूपये 17,99,206=64 (रुपए सत्रह लाख निन्यानबे हजार दो सौ छः मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

13. शासकीय जे.योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता देने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : शासकीय जे.योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को दो वर्ष के लिए वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। दो वर्ष के बाद समीक्षा करने के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जाय। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शोध केन्द्रों में विनियम 107 की कंडिका–8 के अनुसार उपलब्ध सुविधा एवं शिक्षकों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर समीक्षा की जावे।

14. बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स (**B.Voc.**) के अध्यादेश एवं इससे संबंधित रेगुलेशन के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स (**B.Voc**) के अध्यादेश एवं इससे संबंधित रेगुलेशन का अनुमोदन किया गया।

<u>अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण</u> :

1. विश्वविद्यालय परिसर में एन.सी.सी. एयरविंग कार्यालय के लिए स्थान आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला के द्वारा छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व से संबंधित विभिन्न आयामों के छायाचित्रों, प्रतिदर्शों एवं प्रतिकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित करने संबंधी प्रस्ताव पर संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर–छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 233/स.पु./उत्ख.सर्वे./2015 रायपुर दिनांक 06.05.2015 के अनुसार "धरोहर झरोखा" स्थापित करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
3. विश्वविद्यालय के कैम्पस एरिया नेटवर्क में **200 I/O Node** पर पूर्ण रूप से **1 Gbps Connectivity** प्रदान करने के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने एवं **Installation** के संबंध में अनुमानित लागत का राशि रु. 9,26,086.00 (नौ लाख छब्बीस हजार छियासी रुपए) का **RSU-CAN Steering Committee,** विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में दिये गये ज्ञापन पर चर्चा हुई। चर्चा उपरांत विभिन्न बिंदुओं के परीक्षण कर निराकरण करने हेतु निम्नानुसार कार्यपरिषद् सदस्यों की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया :

1. श्री ललित सुरजन	–	अध्यक्ष
2. श्री शिवरतन शर्मा	–	सदस्य
3. श्री नवीन मारकंडेय	–	सदस्य
4. श्री एस.आई शाह	–	सदस्य
5. डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य
6. डॉ. जे.एल. गंगवानी	–	संयोजक

5. कार्यपरिषद् की बैठक में पारित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 3601 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक : 23/05/2015

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

(9)

क्रमांक 3736 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनाँक : 3 /06/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की ग्यारहवीं* बैठक (आपात) शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ.. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
3.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ. एस.सी. नैथानी	–	सदस्य
6.	डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	–	सदस्य
7.	डॉ. पी.सी. अग्रवाल	–	सदस्य
8.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
9.	प्रोफेसर (डॉ.) दिनेश मारोठिया	–	सदस्य
10.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
11.	श्री श्रीचंद सुंदरानी	–	सदस्य
12.	श्री नवीन मार्कण्डेय	–	सदस्य
13.	श्री सत्यनारायण शर्मा	–	सदस्य
14.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

–: कार्यवृत्त :–

विषय क्रमांक–1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 में विश्वविद्यालयकर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–2 विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। इनके साथ निर्णय लिया गया कि ऐसे महाविद्यालय जिनका निरीक्षण के बाद परफारर्मेस इंडेक्स 0.5 अथवा इससे कम है उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाए कि, क्यों न उनके महाविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश, सत्र 2015–16 के लिए प्रतिबंधित किया जावे ?

बी.एड् से संबंधित महाविद्यालयों के निरीक्षण उपरांत परफारर्मेस इंडेक्स एवं शिक्षकों की जानकारी NCTE एवं SCERT को दिया जावे, ताकि वे मान्यता के संबंध में निर्णय लेकर विश्वविद्यालय को जानकारी दे सके।

10

विषय क्रमांक–3 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः (1) विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छ.ग. शासन वित एवं योजना विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक 155/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2015 के अनुसार पुनरक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2015 से 113 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छ. ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक 158/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2015 के अनुसार पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/ परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2015 से 113 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(3) छत्तीसगढ़ शासन वित एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 145/एफ/2015–21–00650/वि/नि/चार नया, रायपुर, दिनांक 14 मई, 2015 में चिकित्सा भत्ता सुविधा संबंधी दी गई वित निर्देश को अक्षरशः अंगीकृत करते हुए यह सुविधा विश्वविद्यालय के सभी (कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकों) को दिये जाने की स्वीकृति दी गई।

(4) विश्वविद्यालय में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के प्रकरण के संबंध में विचार–विमर्श पश्चात् सर्व–सम्मिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1. विश्वविद्यालय के शिक्षकों से विभागाध्यक्षों के माध्यम से पत्र लिखकर प्रशासनिक पद पर कार्य करने हेतु सहमति प्राप्त किया जावें यदि सहमत हो तो उन्हें प्रशासन में संविदा अधिकारियों के स्थान पर प्रशासनिक कार्य हेतु पदस्थ किया जावे।
2. क्रम संख्या 01 में विश्वविद्यालय शिक्षकों को सहमति प्राप्त नही होने की स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के रिक्त पद पर शीघ्र पदस्थापना करने हेतु पत्र लिखा जावे। नियमित नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना करने हेतु निवेदन किया जावे।
3. उपरोक्त व्यवस्था होने तक संविदा पर अधिकारियों से सेवाएँ ली जावे ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य प्रभावित न हो।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

(11)

पृ. कमांक 3737 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक 3/06/2015

प्रतिलिपि :—1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

1. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।

4. जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,

5. वित्त अधिकारी / प्रभारी अंकेक्षण,

6. समस्त विभागीय अधिकारी,

7. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)

12

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज़ लैब के लिए DGD&D दर पर 20 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय कय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना ।

विश्वविद्यालय के साहित्य एवं भाषा विज्ञान अध्ययनशाला में लैब स्थापित किया जाना है, जिसके लिए 20 नग कम्प्यूटर का क्रय किया जाना है । लैब स्थापित करने के लिए साहित्य एवं भाषा विज्ञान अध्ययनशाला को 20 नग कम्प्यूटर क्रय कर आबंटित किया जाना है।

DGS&D द्वारा **Item Code No. 52 Configuration AMD A10, Operating System Linux Chipset A7 Series Rs. 35,366=00** सेल्स टैक्स 5% पृथक से देय होगा, प्रति नग निर्धारित किया गया है ।

विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा **HCL Infosystem Ltd.** नोएडा के अधिकृत डीलर मे0 विनायक इंटरप्राइजेस, तेलीबांधा, रायपुर से साहित्य एवं भाषा विज्ञान अध्ययनशाला के लैब के लिए 20 नग कम्प्यूटर कय करने हेतु अनुशंसा किया गया है, जिस पर रू0 7,42,686=00 टैक्स सहित व्यय होगा ।

अतः साहित्य एवं भाषा विज्ञान अध्ययनशाला के लैब के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा किये गए अनुशंसा के संदर्भ में 20 नग कम्प्यूटर कय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

3-6-15

My Document/ E.C/Dev./51

कार्यालयीन टीप

विषय : श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने पर विचार करना।

=00=

टीप : श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को विश्वविद्यालय के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि संबंधी कार्यों, नजूल विभाग से दस्तावेज एवं जानकारी प्राप्त करने तहसील न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में भूमि संबंधी दायर किए गए प्रकरणों पर पेशी में लगातार उपस्थित होने तथासीमांकन संबंधी कार्य हेतु दिनांक 25.10.2014 से छः माह के लिए प्राप्त अंतिम वेतन से उन्हें प्राप्त पेंशन (तत्समय देय राहत के साथ) की राशि घटाकर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 24.04.2015 को समाप्त हो गई है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के भूमि संबंधी निम्नलिखित कार्यों हेतु श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी की सेवाओं की आवश्यकता है –

1. न्यायालय आयुक्त के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की भूमियों का पुनः सीमांकन कराए जाने संबंधी कार्य हेतु
2. कोटा स्टेडियम से संबंधित कलेक्टर कार्यालय सीलिंग शाखा से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने एवं संबंधित प्रकरण के निराकरण हेतु।
3. विश्वविद्यालय परिसर के चारों ओर शेष बचे चारदीवारी के निर्माण हेतु सीमाचिह्न की जानकारी दिए जाने हेतु।
4. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में चल रहे प्रकरणों पर न्यायालयीन कार्यवाही किए जाने हेतु।

अतः उपरोक्त कार्यों के संपादन हेतु श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (6 माह) तक के लिए संविदा पर नियुक्त किए जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बारहवीं* बैठक बुधवार, दिनांक 10 जून, 2015 को अपरान्ह 03.00 बजे की पूरक विषयसूची

01. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।**

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. **प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समय–सीमा में वृद्धि के संबंध में विचार करना।**

टीप : प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, माना, रायपुर को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2013 के निर्णयानुसार एक वर्ष के लिए स्थान परिवर्तन कर प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर में संचालित करने की अनुमति सशर्त प्रदान की गई थी।

महाविद्यालय के आवेदन दिनांक 01.04.2015 के अनुसार नया रायपुर क्षेत्र का विकास नहीं होने एवं स्थिति पूर्ववत् होने के कारण छात्रों का प्रवेश बहुत कम होता है, जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पडता है। **अतएव शासन के पूर्व आदेश क्र. 2506/2201/1490/2011/38–2 दिनांक 20.06.2011 (संलग्न)** के अनुसार महाविद्यालय को "आशीर्वाद टावर, जयस्तंभ चौक, रायपुर" में ही संचालित करने हेतु पूर्व में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2013 के निर्णय के आधार पर दी गई अनुमति में पुनः वृद्धि के संबंध में प्रस्तुत है। पुराने भवन में अन्य शैक्षणिकोत्तर जैस Skill Development, Vocational Tranning एवं Sports की गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाने की सूचना महाविद्यालय द्वारा दी गई है। **महाविद्यालय का पत्र क्र. PCPS/RSU/APR-15/602 Date 01-04-2015 संलग्न है।**

03. **विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत डिमांड नोट रू. 6,31,751/– (छः लाख इकत्तिस हजार सात सौ इंक्यावन रूपए) के भुगतान की स्वीकृति के सबंध में विचार करना।**

टीप : प्रशासनिक भवन के पीछे ASC (Academic Staff College) भवन का निर्माण हो चुका है। परंतु सी.एस.ई.बी. बिजली कनेक्शन होना शेष है। इसी भवन के ऊपर ASC का गेस्ट हाऊस का निर्माण प्रगति पर है। इसी से जुड़े हुए एन.सी.एन.आर. भवन एवं बी.एड्. भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अतः तीनों भवनों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युतभार का आकलन करते हुए सी.एस.ई.बी. द्वारा अलग से ट्रांसफार्मर सहित पत्र दिनांक 09.06.2015 के माध्यम से रू. 6,31751=00 का डिमांड नोट प्रस्तुत किया है। सी.एस.ई.बी. द्वारा विद्युत कनेक्शन के बाद ASC को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. के बैंक संज्ञापन प्रपत्र दिनांक 09.06.2015 की छायाप्रति संलग्न। कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

04. लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपाजिट वर्ष के अंतर्गत कराए जा रहे बायोटेक्नालॉजी विभाग भवन एवं विश्वविद्यालय के चारों ओर बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य की शेष राशि भुगतान हेतु विचार करना।

टीप :

01. विश्वविद्यालय के बायोटेक्नालॉजी विभाग के अधुरे भवन के शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 62.96 लाख का अनुमोदन भवन निर्माण समिति एवं कार्यपरिषद् द्वारा किया गया था। निर्णय अनुसार कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत कराने प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि रूपए 20.78 लाख का भुगतान पूर्व में किया गया है। शेष राशि की मांग लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई है।

कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण होने की जानकारी दी गई है। शेष राशि भुगतान न होने से कार्य बाधित होने की बात लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र में की गई है। अतः कार्य पूर्णता को ध्यान में रखते हुए शेष राशि रूपए 42.18 लाख का भुगतान किया जाना आवश्यक है। अतः शेष राशि रूपए 42.18 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग के पक्ष में किए जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

02. विश्वविद्यालय के चारो ओर बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 251.69 लाख का अनुमोदन भवन निर्माण समिति एवं कार्यपरिषद् द्वारा किया गया था। निर्णय अनुसार कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत कराने अभी तक कुल राशि रूपए 182.83 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किया जा चुका है। शेष राशि रूपए 68.83 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से की गई है।

राशि के अभाव में कार्य के बाधित होने की बात लिखी गई है। अतः कार्य बाधित न हो, शेष राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। अतः शेष राशि रूपए 68.83 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग के पक्ष में किए जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

05. स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विनियम 91 में प्रावधान किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

06. प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

टीप : प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त है :–

प्राचार्य शिक्षा –

1. जगद्गुरू शंकराचार्य कालेज आफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई
2. शाम्भवी स्कूल आफ एजुकेशन, धुसेरा, रायपुर

प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3788 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2015 रायपुर, दिनांकः 10 / 06 /2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 09.06.2015 पूर्वान्ह 12.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
3.	डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य
4.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
5.	डॉ. सी.डी. अगासे	–	सदस्य
6.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
7.	डॉ. एस.सी. नैथानी	–	सदस्य
8.	डॉ. रश्मि मिंज	–	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई ।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी सम्बद्धता** दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	बी.काम प्रथम वर्ष सीट वृद्धि	289 (पूर्व सीट सं.–189, वृद्धि–100)	2014–15	निरीक्षण तिथि :– 25.04. 2015 Adequate facilities are available to run the programm. Since already Government has approved and adequate facilities are available, we recommend the enhancement of seats.	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।**
		एम.काम. पूर्व – सीट वृद्धि	50 (पूर्व सीट सं.–45, वृद्धि–5)			
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष सीट वृद्धि	220 (पूर्व सीट सं.–192, वृद्धि–28)			
		बी.ए. प्रथम वर्ष सीट वृद्धि	300 (पूर्व सीट सं.–228, वृद्धि–72)			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
		नवीन विषय एम.एस–सी. पूर्व वनस्पति शास्त्र	15	2015–16	All the facility for running M.Sc. Previous Botany with 15 Seats are satisfactory and adequate as per the following details : Highly satisfactory and strongly recommended. 1. Laboratory facility adequate. 2. The concerned books and their multiple numbers are satisfactory. 3. Adequate faculty i.e. one Professor and two Assistant Professor. 4. Adequate instruments.	
		महाविद्यालय का स्थापना वर्ष – 1981–82				
2.	आदर्श महाविद्यालय दतरेंगा, रायपुर	बी.काम.-I	60	2015–16	निरीक्षण तिथि :– 02.05.2015 With ref. to letter No. 3262/Acad/2015 Raipur dated 07-04-2015 the committee visited & inspected the Adarsh Mahavidyalaya for BCom (60 Seats), PGDCA (40 seats), DCA (40 seats). The College is proposed to start in the Adarsh Nursing College Building at 1st Floor, initially. Infrastructure is sufficient. Library is common for all courses. For books of proposed courses, orders have been placed. No. of Computers is sufficient, Licensed software have to be purchased. Teachers & Principal as per the University Norms need to be appointed.	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ते करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।
		पी.जी.डी.सी.ए.	40			
		डी.सी.ए.	40			
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन का आदेश – एफ 17–02/2015/38–2 दिनांक 31.01.2015					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
3.	प्रतिभा फूलझर कॉलेज, ग्राम–बालसी, तह. –सरायपाली, जि.–महासमुंद नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन का आदेश पृ. क्र. 17–22/2015/38–2 दिनांक 31.01.2015	बी.काम.-I बी.काम. -I कम्प्यूटर	60 30	2015–16	निरीक्षण तिथि :– 14.05.2015 बी.काम. भाग–1 (60 सीट), तथा बी.काम. कम्प्यूटर (30 सीट) हेतु कमरों की संख्या पर्याप्त है। तथा 15 कम्प्यूटर भी थे। शिक्षक नहीं है। प्राचार्य भी नहीं है। पुस्तकालय में संबंधित विषयों की पुस्तकें नहीं है। एतदर्थ शिक्षक, प्राचार्य तथा पुस्तकें पर्याप्त क्रय करने एवं नियुक्त करने की शर्त पर मान्य किया जा सकता है।	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।
04	सी.आई.टी. कालेज, पार्रीनाला, जी. ई. रोड, राजनांदगांव नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन का आदेश पृ. क्र. – 17–19/2015/38–2 दिनांक 31.01.2015	बी.बी.ए.-I बी.एस–सी.-I बी.काम.-I	20 40 40	2015–16	निरीक्षण तिथि :– 26.05.2015 With reference to the University letter No. 3581/Acad./2015 Dt. 20th May-2015 the committee conducted the inspection of CIT College, Rajnandgaon on 26th May 2015and observed the following :- 1. That the said College has suffient infrastructure facilities to run B.B.A. (20 seats), B.Sc. (40 seats), B.Com (40 seats). 2. In the LIbrary and Laboratory (Books nad Equipments) facilities are partially fulfilled. 3. The appointment of Principal and Teachers U/s. 28 has to be made. 4. The secretary of the society has given a declaration to fulfill all the shortconming just after getting the affiliation.	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
05	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, (कचना) शंकर नगर, रायपुर	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष रसायन, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान	40	2015–16	निरीक्षण तिथि :– 05.06.2015 The committee visited Pt. Harishankar Shukla Smriti College, Raipur on June 4, 2015 and observed following: 1. The College has applied for B.Sc.- Bio- First year (40 Seats), B.Sc. Maths-I year (40 seats) and DCA (20 Seats). 2. The total land area of the College is 30126 Sq.ft. with total 25 rooms. 3. The college has well furnished class room, seminar hall and auditorium. 4. The number of Books for each subject (B.Sc.- Bio, Maths & DCA) are under process of purchase (PO attached). The committee has recommended some standard and new edition that are required. 5. Presently the college has well equipped computer laboratory still 10 more computers are required. The college has partly unfurnished laboratories. The process of purchase of various laboratory equipments is under process as indicated by the attached P.O. 6. Teacher for B.Sc. Bio, Maths and DCA are presently not recruited but as per the letter addressed to Deputy Registrar (No. 893/HSS Dated 7-3-15) the process is for the appointment in	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।
		बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष रसायन, भौतिकी, गणित	40			
		डी.सी.ए.	20			
	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष – 1994–95 शासन का आदेश – 17–06/2015/38–2 दिनांक 31.01.2015					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					underway. The committee recommends one teacher of computer Science in DCA. 7. Appointment of one teacher in each of the subject Physics, Chemistry, Mathematics, Biology & Zoology is required to run B.Sc. (Maths Group) 40 seats and B.Sc. (Bio Group) 40 seats. 8. Books for the subjects - Physics, Chemistry, Mathematics, Biology & Zoology are insufficient Books for each subject most be purchased in proportion to the strength books for DCA 20 seats are also required. 9. Lab equipment/glassware/ apparatus needs to be purchased & stalled in proportion to the strength of the students for Physics, Chem, Bot. & Zoology labs.	
6	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज, महाराजा भिमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर	बी.काम. अनिवार्य विषय	सीट वृद्धि–60 पूर्व सीट–60 कुल–120	2015–16	**निरीक्षण तिथि :– 06.06. 2015** पत्र क्रमांक 3756/अका. /2015 दिनांक 05.06. 2015 के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 06.06.2015 को महाराणा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज, समता कालोनी का निरीक्षण लिया और पाया कि – 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. वाणिज्य में 1 तथा कंम्प्यूटर विषय में 2 शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अंतर्गत की जावे। 3. वाणिज्य विषय में	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। **परिनियम 28** के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।
		बी.काम. कम्प्यूटर एप्लिकेशन	सीट वृद्धि–30 पूर्व सीट–60 कुल–90			
		पी.जी.डी.सी.ए.	सीट वृद्धि–30 पूर्व सीट–60 कुल–90			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष – 2006–07				100000/– तथा कंप्यूटर विषय में 20,000/– रूपये की पुस्तकें ग्रथालय में क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 4. महाविद्यालय की कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 20 और कम्प्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है। 5. लाइसेन्सड सॉफ्टवेयर की Renew (नवीनीकरण) करवाने की आवश्यकता है। बी.काम. अनिवार्य विषय –60 सीट वृद्धि की पात्रता उपरोक्त को पूर्ण करने पर है। बी.काम. कम्प्यू.एप्लि. –30 सीट वृद्धि पी.जी.डी.सी.ए. –30 सीट वृद्धि की पात्रता उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने पर है।	
7	सर्वतोमुखी समाधान कालेज, बेरला रोड, फरी, बेमेतरा (छ.ग.) महाविद्यालय का स्थापना वर्ष – 2012–13 शासन का आदेश क्र. 322/आउशि/अशै.प्र./2015 दिनांक 12.03.2015	B.B.A. -II B.Com. -II- (Compulsory Subject with Computer Application) B.C.A.- II	30 30 30	2013–14	निरीक्षण तिथि :– 08.05.2015 • The College has sufficient infrastructure in terms of the - Building, Class rooms, furniture, land etc. • Non faculty appointed under college code 28 but the college has no permanent principal. • The college has 30 PCs but needs 15 more. • Licenced Software are to be purchased as per syllabus. • Books worth Rs. 12,000 are to be purchased for B.B.A., B.Com. & B.C.A. Courses.	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सत्र 2013–14 से बी.बी.ए. –II, बी.काम. (Compulsory Subject with Computer Application) – II, बी.सी.ए.-II की सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें। महाविद्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि सत्र 2014–15

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
						में बी.बी.ए., बी.काम. कम्प्यूटर/बी.काम. अनिवार्य विषय के तृतीय वर्ष में बिना सम्बद्धता के छात्रों को प्रवेश क्यों दिया गया ? इस संबंध में यह भी सूचित किया जावे कि इस स्थिति में बी.बी.ए. तृतीय एवं बी.काम. तृतीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों को विश्वविद्यालय के बिना अनुमति के परीक्षा में सम्मिलित कराने के कारण परीक्षा परिणाम क्यों न रोक दिया जावे, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय की होगी। अतः एक माह के अंदर शासन से तत्काल उपरोक्त विषयों के लिये सत्र 2014–15 की अनुमति प्राप्त कर सम्बद्धता हेतु आवेदन करें अन्यथा महाविद्यालय में सत्र 2015–16 में प्रथम वर्ष प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्यवाही क्यों न की जावे।

03. बागबहरा शिक्षा समिति द्वारा पूर्व में संचालित यतन महिला महाविद्यालय, महासमुंद की सम्बद्धता समाप्त करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **महाविद्यालय द्वारा समस्त देनदारियों की जिम्मेदारी लेने के शर्त पर महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की गई।**

04. प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समय–सीमा में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समय–सीमा में वृद्धि के संबंध में प्रकरण आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।**

05. सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट देवादा, राजनांदगांव के शासी निकाय के द्वारा सत्र 2015–16 के लिये बी.एड्. पाठ्यक्रम को शून्य किये जाने के निर्णय पर विचार करना।

निर्णय : **सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट देवादा, राजनांदगांव को सत्र 2015–16 में बी.एड्. को शून्य काल घोषित करने हेतु तत्काल एन.सी.टी.ई. से अनुमति प्राप्त कर, विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा जावे।**

06. एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा जारी Order for shifting of premises का पत्र क्र. WRC/QPW04626/723112 (shifting for premises)/215th /2015/131872 Date 24/26-02-2015 के संबंध में किये गए पुनः निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय : **इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, स्टेशन रोड महासमुंद को एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा जारी Order for shifting of premises का पत्र क्र. WRC/QPW04626/723112 (shifting for premises)/215th /2015/131872 Date 24/26-02-2015 के आधार पर सत्र 2015–16 से महाविद्यालय के स्थान परिवर्तन करने की अनुशंसा की गई।**

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3789 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2015 — रायपुर, दिनांकः 10 /06/2015

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

छत्तीसगढ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

-:: आदेश ::-

रायपुर, दिनांक /07/2011

क्रमांक /2344/2011/38-2 :: राज्य शासन द्वारा प्लेटिनम कालेज ऑफ प्रोफेसनल स्टडीज, माना, रायपुर को आर्शीवाद टॉवर, जी.ई.रोड, रायपुर पर स्थल परिवर्तन हेतु छत्तीसढ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम – 2006 की धारा – 73 एवं धारा – 18 के अंतर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन छूट प्रदान किया जाता है :-

1. प्लेटिनम कालेज ऑफ प्रोफेसनल स्टडीज, माना, रायपुर को यह निर्देश दिए जाते हैं कि आर्शीवाद टॉवर, जी.ई.रोड, रायपुर में स्थानांतरण के पश्चात पूर्व स्थल पर स्थित महाविद्यालय में उपलब्ध समस्त समान सुविधायें उपलब्ध करायी जावेगी।
2. उपरोक्त छूट केवल एक बार के लिए (One Time Exemption) होगी।
3. प्लेटिनम कालेज ऑफ प्रोफेसनल स्टडीज, माना, रायपुर को नवीन परिसर जो कि आर्शीवाद टॉवर, जी.ई.रोड, रायपुर में स्थित है, स्थानांतरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संस्था का सत्र 2011-12 से कालेज ऑफ प्रोफेसनल स्टडीज, माना, रायपुर को बंद करने की अनुमति दी जाती हैं एवं देय सभी वैधानिक स्वत्वों का भुगतान करने की शर्त रखी जाती हैं।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गोपाल सिंह)
अवर सचिव
छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

2506

पृ. क्र. 2201/1490/2011/38-2, रायपुर, दिनांक 20/06/2011

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. रायपुर।

--2--

PLATINUM
COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES
(Promoted by Adharshila Shikshan Sangh - A Regd. Society)

3rd Floor, Ashirwad Towers,
Beside Raj Theatre, G.E. Road,
Raipur Ph. : 0771-2533834
E-mail : info@platinumcollege.com
Website : www.platinumcollege.com

- Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
- Registered VTP under SDI Scheme of D.G.E.T. (Reg. No. 422110014)
- Registered VTP under MMKVY of CSSDM (Reg. No. CG1301P003)

Ref. PCPS/RSU/APR-15/602

Date 1/4/2015

To
The Dy. Registrar (Academics),
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur, Chhattisgarh.

Sub: Continuation of running Platinum College of Professional Studies at the existing location.
Ref: Your letter no. 3156/ACADS/2015, dated 25/03/2015.

Dear Sir,

This is with reference to the above mentioned subject and reference no, we would like to inform you that:

1. Platinum College of Professional Studies, shifted from Mana Basti to the premises situated at Ashirwad Towers, Near Jaistambh Chowk, G.E. Road, Raipur, with due permission from the Government of Chhattisgarh and its Higher Education department. The shifting was done as the surrounding area and the Naya Raipur were not inhabited because of which there were hardly any admissions in the programs offered and college management was forced to change the place.

As of now the habitation at Naya Raipur has not improved significantly and it is in almost same state as it was earlier. To ensure that the objective of providing quality education to the students of Raipur is met, we have requested you to kindly consider extension of permission to run Platinum College of Professional Studies at 3rd Floor, Ashirwad Towers, Near Jaistambh Chowk, G.E. Road, Raipur as permitted by Department of Higher Education, Govt of Chhattisgarh. Because of the current location's advantage, the college has taken an additional initiative by becoming an authorised Vocational training Partner under Skill Development Initiative scheme of Ministry of Labour and Employment, Government of India. Students of our own college and those from the main Raipur city are getting free Skill Development Programs along with NCVT certificates which are recognized by all State Government and by the Central government for the purpose of employment.

2. We would like to mention that the old place is being used for other educational activities like skill development , vocational training, sports etc.

Looking forward for your kind consideration on the above.

Thanks & Regards,

(Pawan Agrawal)
Founder Director
Platinum College of Professional Studies,
Raipur.

CC 1. The Vice Chancellor, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

2. The Director, College Development Council, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या०

छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम, छ०रा०वि०मं० की एक उत्तरवर्ती कंपनी

(CIN:U40108CT2003SGC015822)

कार्यालय : कार्यपालन यंत्री नगर संभाग पश्चिम छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0,डंगनिया रायपुर दूरभाष नं0 07712574409

बैंक संज्ञापन प्रपत्र

स्थान –रायपुर,

दिनांक 09.06.2015

अंतिम भुगतान तिथि 24.06.2015

प्रति,

कुल सचिव
पंडित रवि शंकर विश्वविद्यालय
(अकादमिक स्टॉफ भवन) रायपुर.

विषयः– आपके आहाता में विद्युत प्रदाय के प्रभार का भुगतान ।
आर नं0– 01 दिनांक 22.04.2015

संदर्भः– आपका पत्र कमांक 53 दिनांक 17.04.2015 के तहत स्वीकृत प्राक्कलन कमांक 76–035–5146–15–0011 दिनांक 09.06.2015

कृपया उपरोक्त संदर्भ में नीचे दिये ब्योरों के अनुसार रूपये 631751.00 इस कार्यालय/हमारी बैंक में जमा कीजिये।

सेडुल अ एवं ब के अनुसार चार्जेस	रू0	564679.00
14% सर्विस चार्ज	रू0	10311.00
सर्विस कनेक्शन चार्ज	रू0	510.00
सुरक्षा राशि	रू0	56000.00
अनुबंध चार्जेश	रू0	51.00
प्रोसेसिंग फीस	रू0	200.00
कुल योगः–		631751.00

आवश्यक सुचना

1. कृपया मांग पत्र भुगतान के पश्चात अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करें एवं टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करें।
2. सर्विस वायर में 2 कोर सिंगल फेस 3.5 कोर 3 फेस केबल का ही उपयोग करें।
3. भुगतान चेक से स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. अंतिम तिथि तक भुगतान न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
5. इस प्राक्कलन के अंतर्गत आवेदकों के भुगतान होने के पश्चात ही विद्युत प्रदाय की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

हमारे कार्यालय/बैंक द्वारा उपरोक्त रकम जमा करने की सूचना मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जावेगी।

टीपः– भुगतान करते समय यह संज्ञापन हमारे कार्यालय/बैंक काउंटर पर प्रस्तुत किया जायें।

सहायक यंत्री (कार्यालय)
न0सं0प0 छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 रायपुर

कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु टीप :

श्री शंकर लाल कुंजाम, स्टेनोग्राफर, कुलपति सचिवालय, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 461/सा.प्रशा./99 दिनांक 26 फरवरी, 1999 के परिपालन में कार्यभार ग्रहण दिनांक 12.03.1999 से कार्यरत हैं।

नियुक्ति आदेशानुसार वेतनमान रूपये 1400–40–1440–50–2340, 1.1.96 से पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 4500–125–7000 पर नियुक्ति की गई। छठवें वेतनमान में निर्धारित तत्स्थानी वेतनमान + ग्रेड पे 5200–20200+2800 दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत किया गया।

दस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर दिनांक 12.3.2009 से प्रथम समयमान वेतनमान में निर्धारित तत्स्थानी वेतनमान+ग्रेड पे 9300–34800+4300 स्वीकृत किया गया है, वर्तमान में मूलवेतन 14580+4300 ग्रेड वेतन पर कार्यरत हैं।

विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप में कुलपति कार्यालय एवं कुलसचिव कार्यालय में निज सहायक वेतनमान (9300–34800+4300) के कुल–02 पद तथा कुलपति के सचिव वेतनमान (15600–39100+6600) कुल–01 पद स्वीकृत है।

छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम 2012, छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रकाशित दिनांक 30 जून 2012 में छत्तीसगढ़ सचिवालयीन सेवा के शासकीय सेवकों के भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। अनुसूची चार (नियम 6 एवं 14) में दर्शाये अनुसार शीघ्रलेखक वेतनमान (5200–20200+2800) से निज सहायक वेतनमान (9300–34800+4300) से निज सचिव वेतनमान (9300–34800+4400) से स्टॉफ आफिसर वेतनमान (15600–39100+6600) के क्रम पर पदोन्नति का प्रावधान है।

तद्नुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत शीघ्रलेखकों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार विश्वविद्यालय के सेटअप में कार्यरत स्टेनोग्राफर (शीघ्रलेखक) वेतनमान (5200–20200+2800) को विश्वविद्यालय के सेटअप में स्वीकृत निज सहायक (9300–34800+4300) (कुलपति कार्यालय 01 पद, कुलसचिव कार्यालय–01 पद कुल–02 पद) से कुलपति के सचिव वेतनमान {(15600–39100+6600) स्वीकृत पद–01} द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति का क्रम प्रदान किए जाने हेतु विश्वविद्यालय विनियम–91 में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1853/सा.प्रशा./15 रायपुर, दिनांक 09/06/2015

प्रति,

उप संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
खण्ड–3, तृतीय मंजिल
इन्द्रावती भवन, केपिटल काम्प्लेक्य
नया रायपुर (छ.ग.) 492002

R 16/6/15
1:50 pm

विषय :– दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने स्वीकृति विषयक।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क. 4025/सा.प्रशा./10, दिनांक 10.09.2010, पत्र क. 6454/सा.प्रशा./10, दिनांक 28.10.2010, पत्र क. 5458/सा.प्रशा./10, दिनांक 31.12.2010, पत्र क. 1159/सा.प्रशा./11, रायपुर, दिनांक 24.03.2011, पत्र क. 3058/सा.प्रशा./2011 दिनांक 08.08.2011 एवं पत्र क. 417/सा.प्रशा./12 दिनांक 25.01.2012. एवं इस कार्यालय का पत्र क्र. 2995/सा.प्रश./12 दिनांक 09.08.2012.

महोदय,

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क. एफ 12–1/2007/1–3, दिनांक 05.03.2008 के द्वारा वर्ष 1989 से 1997 तक नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिनकी सेवाएँ 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें नियमितिकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा गठित छानबीन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग की सहमति के आधार पर विश्वविद्यालय में कार्यरत 45+11 कुल 56 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय में 1989 से 1997 के मध्य नियुक्त कुल 09 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण तथा वर्ष 1997 के पश्चात पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण करने के कारण नहीं किया जा सका है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित छानबीन समिति ने अपने प्रतिवेदन में उक्त 09 कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में अपने प्रतिवेदन में निम्नानुसार उल्लेख किया है– "चतुर्थ श्रेणी महिला/पुरुष/स्वच्छक कर्मचारी, जो किसी भी प्रकार की शैक्षणिक अर्हता नहीं रखते, यदि विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो छत्तीसगढ़ शासन से विशेष अनुमति प्राप्त कर नियमितिकरण किया जा सकता है।" उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के

संदर्भित पत्रों के द्वारा शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करते हुए वर्तमान में कार्यरत 08 कर्मचारियों को नियमितिकरण की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर अद्यतन कार्यवाही अपेक्षित है। पूर्व में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्रों की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की माँगों के संबंध में माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.05.2015 में हुए निर्णयानुसार पुनः निवेदन है कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत उपरोक्त 08 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनकी आयु एवं उनके कार्य को देखते हुए शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करते हुए, नियमितीकरण किए जाने हेतु कृपया स्पष्ट निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क.1879 /सा.प्रशा./15 रायपुर, दिनांक 09 /06/2015

प्रतिलिपि :—

1. अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. उप कुलसचिव, अकादमिक विभाग,
3. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ को सूचनार्थ,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकरशुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उपकुलसचिव (प्रशा.)

MyDoc./Vivek/49

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र./025/सा.प्रशा./10 रायपुर, दिनांक /0/09/20..

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने विषयक।

संदर्भ :– अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. 783/ 458/ 2010/1–3, रायपुर, दिनांक 23.07.2010.

महोदय,

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्र. एफ 12–1/2007/1–3, दिनांक 05.03.2008 के द्वारा वर्ष 1989 से 1997 तक नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिनकी सेवाएँ 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें नियमितिकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत 54 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय में 1989 से 1997 के मध्य नियुक्त कुल 09 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है। उक्त कर्मचारी पिछले 15–20 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं तथा उनकी आयु भी अधिक हो चुकी है। शासन के नियमितिकरण आदेश के परिप्रेक्ष्य में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग आदि में शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करते हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया गया है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्र. 2979/सा.प्रशा./10, दिनांक 23.06.2010 के द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को पत्र प्रेषित कर शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करते हुए उक्त 09 कर्मचारियों का नियमितिकरण की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था।

[illegible]

723/452 /2010/ [illegible], रायपुर, दिनांक [illegible]

निवेदन है कि प्रकरण पर आगामी कार्यवाही [illegible]

सादर,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

क्र.4026/सा.प्रशा./10 रायपुर, दिनांक 10/09/2010

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

कक्ष अधिकारी (प्रशा.)

MyDoc//Vivek/22

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र./654/सा.प्रशा./10 रायपुर, दिनांक 28/10/2010

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने विषयक।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्र. 4025/सा.प्रशा./10, रायपुर, दिनांक 10.09.2010.

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क. एफ 12–1/2007/1–3, दिनांक 05.03.2008 के द्वारा वर्ष 1989 से 1997 तक नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिनकी सेवाएँ 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें नियमितिकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत 54 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय में 1989 से 1997 के मध्य नियुक्त कुल 09 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है। उक्त कर्मचारी पिछले 15–20 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं तथा उनकी आयु भी अधिक हो चुकी है। शासन के नियमितिकरण आदेश के परिप्रेक्ष्य में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग आदि में शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करते हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया गया है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क. 2979/सा.प्रशा/10, दिनांक 23.06.2010 के द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को पत्र प्रेषित कर शैक्षणिक योग्यता

... किया गया है।

उक्त पत्र के संबंध में ..., छ.ग. शासन, ... विभाग का पत्र क्र. 783 / 468 / 2010 / 1-3, रायपुर, दिनांक ... को शासन से प्राप्त पत्र संलग्न करते हुए प्रकरण पर आगामी कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया गया था किंतु अद्यतन कोई निर्देश इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

पुनः शासन, से प्राप्त पत्र संलग्न करते हुए सादर निवेदन है कि उक्त प्रकरण पर आगामी कार्यवाही/निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

सादर,

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

क्र.1655 / सा.प्रशा. / 10 रायपुर, दिनांक 10 / 10 / 2010

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
2. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

कक्ष अधिकारी (प्रशा.)

C:\Users\rsu\Documents\Vermaji.doc

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र 5458 / सा.प्रशा. / 10 रायपुर, दिनांक 31 / 12 / 2010

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने विषयक।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्र. 4654 / सा.प्रशा. / 10, रायपुर, दिनांक 28.10.2010.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया था कि विश्वविद्यालय में 1989 से 1997 के मध्य नियुक्त कुल 09 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है। उक्त कर्मचारी पिछले 15–20 वर्षो से निरंतर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं तथा उनकी आयु भी अधिक हो चुकी है। शासन के नियमितिकरण आदेश के परिप्रेक्ष्य में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग आदि में शैक्षणिक योग्यता मे छूट प्रदान करते हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया गया है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क. 2979 / सा.प्रशा / 10, दिनांक 23.06.2010 के द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को पत्र प्रेषित कर शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करते हुए उक्त 09 कर्मचारियों को नियमितिकरण की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था। किन्तु अद्यतन कोई निर्देश इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

पुनः निवेदन है कि उक्त प्रकरण पर सहृदयता से कर्मचारी हित में निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

सादर

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

क्र 5459 / सा.प्रशा. / 10 रायपुर, दिनांक 31 / 12 / 2010

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
2. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

कक्ष अधिकारी (प्रशा.)

C:\Users\rsu\Documents\Vermaji.doc

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 24/03/2011

क्र. 1159/प्रशा./11

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने विषयक।

संदर्भ :— इस कार्यालय का पत्र क्र. 4025/सा.प्रशा.2010, दिनांक 10.09.2010, पत्र क्र. 6454/सा. प्रशा./10, दिनांक 28.10.2010 एवं पत्र क्र. 5458/सा.प्रशा./10, दिनांक 31.12.201.

महोदय,

विषयांतर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से निवेदन किया गया था कि विश्वविद्यालय में 01.01.1989 से 31.12.1997 तक नियुक्त कुल 08 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिनकी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण नियमितीकरण नहीं किए जा सके हैं, उन्हें शैक्षणिक अर्हता में छूट प्रदान कर नियमितीकरण किए जाने के संबंध में आपसे अभिमत मांगा गया था, किंतु इस संबंध में आज तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

इस संबंध में लेख्य है कि उक्त कर्मचारी विगत 15—20 वर्षों से लगातार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्र. 2979/सा. प्रशा./10, दिनांक 23.06.2010 के द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को भी पत्र प्रेषित कर शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान कर नियमितीकरण की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त पत्र क्र. 783/458/1—3, रायपुर, दिनांक 23.07.2010 की प्रति संलग्न कर पुनः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण पर आगामी कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 24/03/2011

क्र. 1160/प्रशा./11

प्रतिलिपि :—

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हस्ताक्षर)

उप कुलसचिव (प्रशा.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3058/सा.प्रशा./2011 रायपुर, दिनांक 08/08/2011

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में जानकारी बाबत।

संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर का पत्र क्र. 1257A/आउशि/वि.वि.प्र./2011 रायपुर, दिनांक 14.07.11

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ-12-1-2007/1-3 दिनांक 05.03.2008 के संबंध में चाही गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार दिये जा रहे है :-

<u>बिन्दु क्रमांक-1</u>- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार रखा गया है। परन्तु विभागीय भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते है, इसलिए शैक्षणिक अर्हता में छूट प्रदान कर नियमित करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

<u>बिन्दु क्रमांक-2</u>- दैनिक वेतन पर विश्वविद्यालय का कार्य संचालन के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवश्यकता है और आगे भी रहेगी।

<u>बिन्दु क्रमांक-3</u>- विश्वविद्यालय में दैनिक बेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में दिनांक 31.12.1997 के पूर्व से कार्यरत है। फर्राश, माली, चौकीदार, क्लीनर के समकक्ष पर कार्य किये है, जिसमें शैक्षणिक छूट प्रदान किया जा सकता है।

<u>बिन्दु क्रमांक-4</u>- विश्वविद्यालय में कार्य आवश्यकतानुसार रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पद फर्राश, माली, चौकीदार, क्लीनर के कार्य हेतु रखा गया है। जिसमें शैक्षणिक योग्यता में छूट मांगी गई है। जिससे इनकी नियुक्ति वैध मान्य की जा सके।

<u>बिन्दु क्रमांक-5</u>- जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को शैक्षणिक अर्हता में छूट प्रदान करते हुए उनका नियमितीकरण किया गया है।

<u>बिन्दु क्रमांक-6</u>- वर्तमान में विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के नियुक्ति पदोन्नति के 62 पद रिक्त है।

इस संबंध में पुनः निवेदन है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत 09 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनकी आयु एवं उनके कार्य को देखते हुए शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमितीकरण की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

पृ. क्र. 3059/सा.प्रशा./11 रायपुर, दिनांक 08/08/2011

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

92

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/सा.प्रशा./12 रायपुर, दिनांक 2 /01/2012

उप संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर
रायपुर (छ.ग.)

:- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने स्वीकृति विषयक।
:- इस कार्यालय का पत्र क. 4025/सा.प्रशा./10, दिनांक 10.09.2010, पत्र क. 6454/सा.प्रशा./10, दिनांक 28.10.2010, पत्र क. 5458/सा.प्रशा./10, दिनांक 31.12.2010, पत्र क. 1159/सा.प्रशा./11, रायपुर, दिनांक 24.03.2011 एवं पत्र क. 3058/सा.प्रशा./2011 दिनांक 08.08.2011.

दय,

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश एफ 12–1/2007/1–3, दिनांक 05.03.2008 के द्वारा वर्ष 1989 से 1997 तक नियुक्त ।क वेतन भोगी कर्मचारियों को, जिनकी सेवाएँ 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है., उन्हे ।मितिकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य मे वविद्यालय द्वारा गठित छानबीन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग सहमति के आधार पर विश्वविद्यालय मे कार्यरत 45+11 कुल 56 दैनिक वेतन भोगी ।चारियों का नियमितिकरण किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय में 1989 से 1997 के मध्य नियुक्त कुल 09 दैनिक वेतन भोगी ।चारियो का नियमितिकरण शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण नही किया जा का है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित छानबीन समिति ने अपने प्रतिवेदन में उक्त 09 र्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में अपने प्रतिवेदन में निम्नानुसार उल्लेख किया है– चतुर्थ श्रेणी महिला/पुरुष/ स्वच्छक कर्मचारी, जो किसी भी प्रकार की ।क्षणिक अर्हता नहीं रखते यदि विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो छत्तीसगढ़ ।ासन से विशेष अनुमति प्राप्त कर नियमितिकरण किया जा सकता है।" उक्त ।तिवेदन के आधार पर कार्यालय के संदर्भित पत्रो के द्वारा शैक्षणिक योग्यता मे छूट प्रदान ।रते हुए वर्तमान में कार्यरत 08 कर्मचारियो को नियमितिकरण की स्वीकृति प्रदान किए ।ाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर अद्यतन कार्यवाही अपेक्षित है।

उक्त कर्मचारी पिछले 15–20 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं तथा उनकी ।ायु भी अधिक हो चुकी है। शासन के नियमितिकरण आदेश के परिप्रेक्ष्य में लोक निर्माण ।िभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग आदि में शैक्षणिक योग्यता मे छूट प्रदान करते हुए ।ैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया गया है। किंतु विश्वविद्यालय द्वारा ।क्त संबध मे शैक्षणिक अर्हता मे शिथिलीकरण प्रदान करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

इस संबंध में आपके कार्यालय के पत्र क. 1257/आउशि/वि.वि.प्र./2011 दिनांक 14.07.2011 के द्वारा 06 बिंदुओं पर जानकारी चाही गई थी। उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में इस

MyDoc/Pravina/39

[illegible] आवश्यक [illegible] के अधीन नियुक्त [illegible] की गई थी।

[illegible] शासन वित्त एवं योजना विभाग [illegible] रायपुर ने अपने पत्र [illegible] रायपुर [illegible] दैनिक वेतन अथवा [illegible] एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु निर्देशित [illegible] राज्य शासन से स्थापना [illegible] नहीं करती है। उपरोक्त [illegible] के अधीन राज्य शासन द्वारा स्वीकृत [illegible] के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु [illegible] पदों पर नियुक्ति के [illegible] राज्य शासन पर अतिरिक्त [illegible] ऐसे पदों [illegible] हेतु राज्य शासन की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

इस संबंध में पुनः निवेदन है कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत उपरोक्त 08 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनकी आयु एवं [illegible] कार्य को देखते हुए वर्तमान में उनकी योग्यता का [illegible] करते हुए शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करते हुए नियमितीकरण किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव

क्र. [illegible] रायपुर, दिनांक [illegible]/01/2012

प्रतिलिपि

1 अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2 उप कुलसचिव, अकादमिक विभाग,

3 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक

[illegible] विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उपकुलसचिव (प्रशा.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र 2595/सा.प्रशा./12 रायपुर, दिनांक 05/08/2012

प्रति,

उप संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने स्वीकृति विषयक।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क. 4025/सा.प्रशा./10, दिनांक 10.09.2010, पत्र क. 6454/सा.प्रशा./10, दिनांक 28.10.2010, पत्र क. 5458/सा.प्रशा./10, दिनांक 31.12.2010, पत्र क. 1159/सा.प्रशा./11, रायपुर, दिनांक 24.03.2011, पत्र क. 3058/सा.प्रशा./2011 दिनांक 08.08.2011 एवं पत्र क. 417/सा.प्रशा./12 दिनांक 25.01:2012..

महोदय,

विषयांतर्गत छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क. एफ 12–1/2007/1–3, दिनांक 05.03.2008 के द्वारा वर्ष 1989 से 1997 तक नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को, जिनकी सेवाऍ 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें नियमितिकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा गठित छानबीन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग की सहमति के आधार पर विश्वविद्यालय में कार्यरत 45+11 कुल 56 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय में 1989 से 1997 के मध्य नियुक्त कुल 09 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नही होने के कारण तथा वर्ष 1997 के पश्चात पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण करने के कारण नही किया जा सका है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित छानबीन समिति ने अपने प्रतिवेदन में, उक्त 09 कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में, अपने प्रतिवेदन में निम्नानुसार उल्लेख किया है– "चतुर्थ श्रेणी महिला/पुरुष/स्वच्छक कर्मचारी, जो किसी भी प्रकार की शैक्षणिक अर्हता नहीं रखते, यदि विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो छत्तीसगढ़ शासन से विशेष अनुमति प्राप्त कर नियमितिकरण किया जा सकता है।" उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के संदर्भित पत्रों के द्वारा, शैक्षणिक योग्यता मे छूट प्रदान करते हुए वर्तमान मे कार्यरत 08 कर्मचारियों को नियमितिकरण की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर अद्यतन कार्यवाही अपेक्षित है।

इस संबंध में पुनः निवेदन है कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत उपरोक्त 08 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनकी आयु एवं उनके कार्य को देखते हुए, वर्तमान मे उनकी योग्यता को मान्य करते हुए, शैक्षणिक योग्यता मे छूट प्रदान करते हुए, नियमितीकरण किए जाने हेतु कृपया स्पष्ट निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 3/8/12

उप कुलसचिव (प्रशा.)

c/c

MyDoc/Vivek 50

[illegible]/सा.प्रशा./12 रायपुर दिनांक [illegible]/08/12

प्रतिलिपि :-

1. अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. उप कुलसचिव, अकादमिक विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकरशुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उपकुलसचिव (प्रशा.) 9/8/12